



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: एफ.2/वमखुवि/स्था0/2025/3606

दिनांक 01.11.2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.2/वमखुवि/स्था./023/2640 दिनांक 13.04.2023 द्वारा यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की एन्टी रेगिंग समिति (Anti-ragging committee) का गठन किया गया था:-

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| 1. श्री नीरज अरोड़ा | — | सदस्य |
| सहायक आचार्य, (कम्प्यूटर साइन्स) | | |
| 2. श्री सुशील राजपुरोहित | — | सदस्य |
| सहायक आचार्य, (भौतिक विज्ञान) | | |
| 3. श्री राकेश शर्मा | — | सदस्य |
| सहायक आचार्य (कम्प्यूटर साइन्स) | | |
| 4. डॉ0 अकबर अली | — | सदस्य |
| सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) | | |
| 5. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे | — | सदस्य |
| आचार्य (वनस्पति शास्त्र) | | |
| 6. डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा | — | सदस्य |
| निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा | | |

उक्त सदस्यों में से श्री राकेश शर्मा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइन्स को समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री राकेश शर्मा, सहायक आचार्य दिनांक 30.09.2025 को विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः इनके स्थान पर डॉ0 आलोक चौहान, सहायक आचार्य, भूगोल को एन्टी रेगिंग समिति (Anti-ragging committee) का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। शेष समिति सदस्य पूर्ववत् रहेंगे।

यह आदेश माननीय कुलगुरु महोदय से अनुमोदित है।

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा।
5. समिति सदस्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. श्री आलोक चौहान, सहायक आचार्य, भूगोल, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।


उप कुलसचिव
(स्थापना)